fax/ E Mail / website.

संख्या–2327 / छः–पु0–9–16–2(16) / 2015

प्रेषक,

**देबाशीष पण्डा,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1– पुलिस महानिदेशक,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**2– अपर पुलिस महानिदेशक,**
तकनीकी सेवायें, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर,2016

विषयः–प्रदेश के 18 परिक्षेत्रों में स्थापित एवं नई स्थापित की जाने वाली विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का श्रेणीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–935 / छः–पु0–9–15–2(16) / 2015, दिनांक 18 मई, 2015 एवं पत्र संख्या–120 / छः–पु0–9–16–2(16) / 2015, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा प्रदेश में स्थापित होने वाली विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का श्रेणीकरण निर्धारित किया गया था।

**2–** इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि, जनसंख्या, अपराधों की संख्या एवं प्रकृति / थानों की संख्या एवं प्रदेश की व्यापक आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रदेश के 18 परिक्षेत्रों में से पूर्व से स्थापित लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त शेष सभी परिक्षेत्रों में स्थापित होने वाली प्रयोगशालाओं का श्रेणीकरण निम्नानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

| **प्रयोगशाला की श्रेणी** | **मण्डल / जनपद का नाम** |
|---|---|
| विशिष्ट श्रेणी (मुख्यालय) | लखनऊ |
| श्रेणी–ए | गाजियाबाद / कन्नौज / आगरा |
| श्रेणी–बी | इलाहाबाद / गोरखपुर / झांसी / मुरादाबाद एवं वाराणसी |
| श्रेणी–सी | अलीगढ़ / सहारनपुर / मिर्जापुर / बस्ती / गोण्डा / बांदा / बरेली / आजमगढ़ एवं फैजाबाद |

कृपया उपर्युक्तानुसार प्रयोगशालाओं के निर्माण, पद सृजन,उपकरणों की उपलब्धता व अन्य प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करने का कष्ट करें एवं यथावश्यकता समुचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) गृह (पुलिस) अनुभाग–7
(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।